मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

शुक्रवार, दिनांक 30 मार्च, 2012 (चैत्र 10, 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

1. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री निरंजन वर्मा, श्रीयुत श्रीवल्लभ शर्मा, श्री भगवान सिंह चौहान, पूर्व सदस्यगण विधान सभा के निधन पर शोकोदगार व्यक्त किये गये। सर्वश्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, अजय सिंह , नेता प्रतिपक्ष, रामलखन सिंह, सदस्य तथा राघवजी, वित्त मंत्री द्वारा भी शोकोदगार व्यक्त किये गए।

सदन द्वारा 2 मिनिट मौन खड़े रहकर, दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर शोकाकुल परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट की गई। दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 10.40 बजे 5 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 10.48 बजे पुन: समवेत हुई।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 15 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 126 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 119 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि नियम 267-क के अधीन लम्बित सूचनाओं में से 39 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर, आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है। ये सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी तथा इन्हें उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जाएगा। तद्नुसार –

(1) श्री शरद जैन, सदस्य की जबलपुर के मढ़ोताल में पुलिस चौकी खोली जाने,
(2) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य की राजगढ़ जिले के सोयत मार्ग से धनोदा मार्ग का घटिया निर्माण करने,
(3) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ पंचायत में बैठकों में अनाधिकृत आमंत्रण दिये जाने,
(4) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल के वार्ड 39 में स्थित बावड़ी पर बाहुबली का कब्जा होने,
(5) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़), सदस्य की रीवा के रामपुर कर्चुलियान में पशु चिकित्सालय न होने,
(6) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य की बैतूल के मुलताई स्थित सालबर्डी का विकास न होने,
(7) श्रीमती उमादेवी खटीक, सदस्य की हटा क्षेत्र के पटेरा में नलजल योजना का कार्य शुरू न किये जाने,
(8) श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य की राजगढ़ जिले के ग्राम पीलूखेड़ी स्थित डिस्टलरी द्वारा श्रम कानूनों का उल्लंघन किये जाने,
(9) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य की प्रदेश में दूध से बने घी, मावा आदि पदार्थ नकली बेचे जाने,
(10) श्री के.पी. सिंह, सदस्य की बीज एवं फर्म विकास निगम में दै.वे.भो. कर्मचारियों को नियमित किये जाने,
(11) श्री परसराम मुदगल, सदस्य की मुरैना जिले के विद्यालयों में हैण्डपंप खनन न किये जाने,
(12) श्री अन्तर सिंह आर्य, सदस्य की व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा जेल प्रहरी के पद हेतु परीक्षा फीस लिये जाने,
(13) श्री गिरिराज किशोर पोद्दार, सदस्य की कटनी में शिक्षकों को वेतन न मिलने,
(14) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य की भिण्ड जिले के ग्राम सिकाहरा के शहीद परिवार को आर्थिक सहायता न देने,
(15) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की विजयपुर के ग्राम वीरपुर एवं श्यामपुर में बंदरों का आतंक होने,
(16) श्री रामलखन सिंह, सदस्य की सतना जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग के स्कूलों में हेराफेरी होने,
(17) श्री रमेश दिलीप भटेरे, सदस्य की लांजी के बैगा आदिवासियों को बेगा विकास प्राधिकरण योजना का लाभ न देने,
(18) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी, सदस्य की बड़वाह के बालक विद्यालय में बाउन्ड्रीवाल न होने,
(19) श्री भगत सिंह नेताम, सदस्य की बालाघाट के ग्रामों में स्कूल की दूरियों से परेशानी होने,
(20) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य की टीकमगढ़ के पृथ्वीपुर में राजस्व विभाग में धांधलियां होने,
(21) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की इंदौर में चरनोई भूमि पर सड़क निर्माण किये जाने,
(22) डॉ. प्रभुराम चौधरी, सदस्य की शिवपुरी जिले के ग्राम सतैरिया में एक व्यक्ति पर हमला किये जाने,
(23) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य की अशोकनगर के ग्राम खाचरोद में आदिवासियों की भूमि नामान्तरण न करने,
(24) श्री जुगुल किशोर, सदस्य की सतना के रैगांव स्थित ग्रामों में पेयजल सप्लाई न किये जाने,

(25) श्री बिसाहूलाल सिंह, सदस्य की रीवा के मऊगंज में अतिक्रमण होने,
(26) श्री अलकेश आर्य, सदस्य की खाद्य विभाग द्वारा प्रशिक्षित कर्मियों को काम न सौंपे जाने,
(27) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य की रीवा जिले के मऊगंज स्थित मदरसों के अध्यापकों को कम वेतन देने,
(28) श्री रामखेलावन पटेल, सदस्य की सतना के अमरपाटन के विद्युत कर्मियों को मंहगाई भत्ते की किश्त न मिलने,
(29) श्री विश्वेश्वर भगत, सदस्य की बालाघाट के जामुनटोला की टूटी पुलिया न बनाये जाने,
(30) श्री लक्ष्मण तिवारी, सदस्य की रीवा जिले के मऊगंज के पिपराही में पुलिस चौकी खोली जाने,
(31) श्री विश्वास सारंग, सदस्य की भोपाल के नरेला स्थित वार्ड क्रमांक 36 की सड़क जर्जर हालत में होने,
(32) श्री संजय पाठक, सदस्य की कटनी जिले के भुकेही कैमोर सड़क मार्ग हेतु आवंटित राशि का सही उपयोग न होने,
(33) श्री गौतम टेटवाल, सदस्य की सारंगपुर में शासकीय कन्या महाविद्यालय को नवीन भवन की स्वीकृति देने,
(34) श्री पांचीलाल मेड़ा, सदस्य की पन्ना के अमानगंज की डूब भूमि का मुआवजा न मिलने,
(35) डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य की बैतूल जिले में जबरन नसबंदी आपरेशन किये जाने,
(36) श्री रामचरित्र, सदस्य की देवसर क्षेत्र में लीड प्रभारी द्वारा खाद्यान्न की कालाबाजारी होने,
(37) श्री सुरेश चौधरी, सदस्य की सबलगढ़ क्षेत्र में पेयजल संकट होने,
(38) श्री आत्माराम पटेल, सदस्य की महेश्वर के तहसील करही के तहसीलदार पर कार्रवाई न की जाने तथा
(39) श्री कमल पटेल, सदस्य की होशंगाबाद विपणन संघ द्वारा गेहूं खरीदी में अनियमितता करने

सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री गोपाल भार्गव, सामाजिक न्याय मंत्री ने आयुक्त, नि:शक्तजन, मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2010-11 पटल पर रखा।

(2) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने – (क) महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2010-11 तथा (ख) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,इन्दौर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 पटल पर रखे।

5. ध्यान आकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से नियम (138) (3) को शिथिल करके, आज की दैनिक कार्यसूची में उल्लेखित 55 सूचनाओं में से प्रथम 12 ध्यानाकर्षण सूचनाएं सदन में लिये जाने सम्बन्धी घोषणा की गई। तद्नुसार –

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य ने भिण्ड नगर के गल्ला मण्डी निवासी युवक की हत्या होने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री शांतिलाल धबाई , सदस्य ने देवास से बदनावर मार्ग की चौड़ाई कम होने से दुर्घटनाएं होने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री नागेन्द्र सिंह (नागौद), लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य ने बैतूल जिले में सहायक संचालक, मत्स्योद्योग द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री अजय विश्नोई, मछली पालन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी तथा इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्यगण ने बीना विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बसारी के उप सरपंच का अपहरण होने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(5) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य ने रीवा जिले के भटवा-महुली मार्ग पर स्थित नदी का पुल क्षतिग्रस्त होने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(6) सर्वश्री रामगरीब कोल तथा रामलखन सिंह, सदस्यगण ने रीवा जिले के ग्राम राजाबांध में एक बालिका के साथ बलात्कार होने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्री रामलखन सिंह, सदस्य के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी के सदस्यगण द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया।)

(7) सर्वश्री गिरिजाशंकर शर्मा, पारस सकलेचा, राधेश्याम पाटीदार तथा विश्वास सारंग, सदस्यगण ने प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य मानक अधिनियम का विरोध होने की ओर ध्यान आकर्षित किया। डॉ. नरोत्तम मिश्रा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(8) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी, सदस्य की बड़वाह क्षेत्र में कृषकों से विद्युत बिल की अवैध वसूली किये जाने संबंधी ध्यानाकर्षण की सूचना, प्रस्तुत नहीं की गई।

(9) सर्वश्री ध्रुवनारायण सिंह तथा विश्वास सारंग, सदस्यगण ने भोपाल के घोड़ा नक्कास से मंगलवारा तक क्षतिग्रस्त सड़कों का सुधार न किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(10) श्री लखन घनघोरिया, सदस्य ने जबलपुर में एक बालिका के साथ बलात्कार होने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(11) श्री अरूणोदय चौबे, सदस्य ने सागर जिले के खुरई क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य पूर्ण न होने संबंधी ध्यानाकर्षण की सूचना,उनकी अनुपस्थितिवश प्रस्तुत नहीं की गई।

(12) श्री बलीसिंह मरावी, सदस्य ने रीवा जिले के जवा में फायरिंग से कई व्यक्ति घायल होने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, कार्यसूची के पद 3 के उप पद (13) से (55) तक के माननीय सदस्यों की निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्रीगण द्वारा वक्तव्य पढ़े हुए माने गए –

(13) श्री विश्वास सारंग, सदस्य की भोज मुक्त विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की मांगों का निराकरण न होने संबंधी सूचना तथा उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य।

(14) सर्वश्री अजय सिंह (नेता प्रतिपक्ष), रामनिवास रावत तथा आरिफ अकील, सदस्यगण की बैतूल के हमलापुर क्षेत्र में एक महिला की हत्या किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(15) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के ग्राम अस्तौनखास में क्रेशर मशीन लगाने की अनुमति दिये जाने संबंधी सूचना तथा राज्य मंत्री, खनिज साधन का वक्तव्य।

(16) श्री ओमकार सिंह मरकाम, सदस्य की डिण्डोरी जिले के वन परिक्षेत्र सरई में वनों की अवैध कटाई होने संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य।

(17) श्री एदल सिंह कंसाना, सदस्य की मुरैना में कार्यपालन यंत्री के साथ मारपीट किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(18) श्री राधेलाल बघेल, सदस्य की प्रदेश के अनेक जिलों में रेत की अवैध निकासी होने संबंधी सूचना तथा राज्य मंत्री, खनिज साधन का वक्तव्य।

(19) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले के ग्राम शिवलालपुरा में जहरीली शराब पीने से दो व्यक्तियों की मौत होने संबंधी सूचना तथा वाणिज्यिक कर मंत्री का वक्तव्य।

(20) श्री हेमराज सिंह कल्पोनी, सदस्य की राजगढ़ जिले में कृषकों को फसल बीमा की राशि न मिलने संबंधी सूचना तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य।

(21) श्री कमल पटेल, सदस्य की हरदा जिले के ग्राम डेड गांव में सरपंच के घर डकैती होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(22) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी, सदस्य की बड़वाह तहसील के उप मण्डी बेडिया में विक्रय हेतु स्थान की कमी होने संबंधी सूचना तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य।

(23) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले के रौन पुलिस द्वारा लोगों पर फर्जी प्रकरण दर्ज किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(24) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य की माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा डी. एड. की अंकसूची रोके जाने संबंधी सूचना तथा उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य।

(25) श्री अंतर सिंह आर्य, सदस्य की भोपाल के रिवेरा टाऊन के मकानों में घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग होने संबंधी सूचना तथा आवास मंत्री का वक्तव्य।

(26) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री पांचीलाल मेड़ा तथा पुरूषोत्तम दांगी, सदस्यगण की प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहू उपार्जन हेतु पंजीयन कार्य में त्रुटि होने संबंधी सूचना तथा राज्य मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का वक्तव्य।

(27) श्री पारस सकलेचा, सदस्य की मध्य प्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भारी फीस की वसूली किये जाने संबंधी सूचना तथा तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण मंत्री का वक्तव्य।

(28) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय में पंजीयन नवीनीकरण में वरिष्ठता प्रभावित होने संबंधी सूचना तथा वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री का वक्तव्य।

(29) श्री तुलसीराम सिलावट, सदस्य की प्रदेश में आम उपभोक्ताओं से विद्युत बिलों की अवैध वसूली किये जाने संबंधी सूचना तथा राज्य मंत्री, ऊर्जा का वक्तव्य।

(30) सर्वश्री रामलखन सिंह, आरिफ अकील तथा डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण की उमरिया में पत्रकार की परिवार सहित हत्या होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(31) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल में सर्व शिक्षा अभियान के तहत आवंटित राशि का दुरूपयोग होने संबंधी सूचना तथा स्कूल शिक्षा मंत्री का वक्तव्य।

(32) श्री अजय सिंह (नेता प्रतिपक्ष), सदस्य की बैतूल जिले में रायसेड़ा में सड़क निर्माण हेतु अवैध उत्खनन किये जाने संबंधी सूचना तथा राज्य मंत्री, खनिज साधन का वक्तव्य।

(33) श्री रामप्यारे कुलस्ते, सदस्य की मंडला जिले के नगर पंचायत निवास अंतर्गत रोजगार मूलक कार्य न होने संबंधी सूचना तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का वक्तव्य।

(34) श्री आरिफ अकील, डॉ. गोविन्द सिंह तथा श्री पुरूषोत्तम दांगी , सदस्यगण की प्रदेश के अनेक जिलों में वनो की अवैध कटाई होने संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य।

(35) श्री पांचीलाल मेड़ा, सदस्य की धार जिले के माण्डव में आदिवासी वार्डो के विद्युत कनेक्शन काटे जाने संबंधी सूचना तथा राज्य मंत्री, ऊर्जा का वक्तव्य।

(36) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा, सदस्य की देवास जिले के मेहतवाड़ा स्थित सेल मेन्यूफेक्चरिंग कंपनी द्वारा अवैध रूप से नदी का पानी रोके जाने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

(37) डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य की कटनी जिले में ओला, पालें से फसल नष्ट होने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य।

(38) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य की मध्य प्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आई.टी.आई. से कम्प्यूटर डिप्लोमा को मान्य न किये जाने संबंधी सूचना तथा मुख्य मंत्री का वक्तव्य।

(39) श्री ब्रजराज सिंह चौहान, सदस्य की श्योपुर जिले में गेहू खरीदी केन्द्र बंद किये जाने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का वक्तव्य।

(40) डॉ. बाबूलाल वर्मा, सदस्य की शुजालपुर जिले के अरनियाकला के कृषकों की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य।

(41) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर एवं शिवपुरी सीमा पर अपर ककेटो बांध के डूब प्रभावित ग्रामों की बसाहट न किये जाने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

(42) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य की प्रदेश के कृषकों से विद्युत पंप कनेक्शन पर कैपेसीटर के नाम पर अवैध वसूली किये जाने संबंधी सूचना तथा राज्य मंत्री, ऊर्जा का वक्तव्य।

(43) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य की खंडवा जिले के ग्राम भादलीखेड़ा स्थित तालाब से पानी का रिसाव होने संबंधी सूचना तथा मुख्य मंत्री का वक्तव्य।

(44) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य की मुरैना जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में विलंब होने संबंधी सूचना तथा राज्य मंत्री, ऊर्जा का वक्तव्य।

(45) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल में नर्मदा पाईप लाईन पर अतिक्रमण होने संबंधी सूचना तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का वक्तव्य।

(46) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की मुरैना जिले के अटार घाट पर पेंटून पुल न बनाये जाने संबंधी सूचना तथा लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य।

(47) श्रीमती मीरा दीपक यादव, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के निवाड़ी में स्थित दुकानों में आग लगने संबंधी सूचना तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का वक्तव्य।

(48) श्री रामलाल मालवीय, सदस्य की उज्जैन जिले के ग्राम झीतरखेड़ी में एक परिवार पर हमला होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(49) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य की जबलपुर जिले में पुष्प एवं मसाला योजना खरीदी में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री का वक्तव्य।

(50) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी तथा श्री बृजेन्द्र सिंह, सदस्यगण की नरसिंहपुर जिले के बकोरी एवं पांजरा स्थित गौण खनिज का अवैध उत्खनन होने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री, खनिज साधन का वक्तव्य।

(51) श्री आरिफ अकील, सदस्य की परिवहन विभाग द्वारा सिक्यूरिटी नम्बर प्लेट के बनाने के ठेके में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा परिवहन मंत्री का वक्तव्य।

(52) श्री राकेश शुक्ला, सदस्य की बाणसागर परियोजना के प्रभारी अधीक्षण यंत्री द्वारा पद का दुरूपयोग किये जाने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

(53) डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी, सदस्य की सागर जिले के बीना क्षेत्र में अवैध उत्खनन होने संबंधी सूचना तथा राज्य मंत्री, खनिज साधन का वक्तव्य।

(54) श्री जुगुल किशोर, सदस्य की सतना जिले के रघुराज नगर तहसील अंतर्गत कृषि भूमि को सीमेंट फैक्ट्री को दिये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य तथा

(55) श्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य की खंडवा जिले के पुनासा सिंचाई परियोजना के चतुर्थ चरण के विस्तार संबंधी सूचना तथा मुख्य मंत्री का वक्तव्य।

6. सम्पत्ति विवरण का पटल पर रखा जाना

निम्नलिखित मंत्रीगण द्वारा अपने एवं परिवार के सम्पत्ति विवरण पटल पर रखे गए :-

(1) श्री सरताज सिंह, वन मंत्री,
(2) श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री,
(3) श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री,
(4) श्री जगदीश देवड़ा, परिवहन मंत्री तथा
(5) श्री हरिशंकर खटीक, राज्यमंत्री, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण

7. नियम 228 के अंतर्गत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्रीयुत श्रीकांत दुबे, सदस्य ने मध्यप्रदेश विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-228 के अंतर्गत प्रस्ताव किया कि –

(1) " सर्वश्री विश्वास सारंग, आरिफ अकील, रामनिवास रावत, लखन घनघोरिया, ध्रुवनारायण सिंह, हेमराज सिंह कल्पोनी, जितेन्द्र डागा, उमाशंकर गुप्ता (गृह मंत्री), डॉ. कल्पना परूलेकर एवं डॉ. निशिथ पटेल, सदस्यगण द्वारा भोपाल से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र "राज एक्सप्रेस" के संपादक श्री अरूण सहलोत एवं संवाददाता श्री रविन्द्र जैन के विरूद्ध।

(2) श्रीमती ललिता यादव, सदस्य द्वारा श्री पांचीलाल मेड़ा, सदस्य के विरूद्ध.

(3) श्री गिरिजाशंकर शर्मा, श्रीमती नीता पटेरिया, श्री मोती कश्यप एवं श्री अंतर सिंह आर्य, सदस्यगण द्वारा डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य के विरूद्ध.

(4) श्रीमती प्रतिभा सिंह, श्रीमती नीना विक्रम वर्मा, श्रीमती ललिता यादव, श्रीमती नीता पटेरिया एवं श्री संतोष जोशी, सदस्यगण द्वारा डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य के विरूद्ध.

(5) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य द्वारा नगर निरीक्षक थाना लहार-जिला भिण्ड के विरूद्ध.

(6) श्री आरिफ अकील, सदस्य द्वारा श्रीमती विनीता आजम के विरूद्ध.

संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8. नियम 239 के अंतर्गत सदन को सूचना

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि उनके समक्ष विशेषाधिकार भंग की निम्नांकित सूचनायें विचाराधीन है :-

(1) श्रीमती अर्चना चिटनीस, स्कूल शिक्षा मंत्री द्वारा मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, श्री कांतिलाल भूरिया के विरूद्ध.

(2) श्रीमती रंजना बघेल, राज्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास द्वारा मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, श्री कांतिलाल भूरिया के विरूद्ध.

(3) सर्वश्री अनूप मिश्रा, मोती कश्यप, अरविन्द सिंह भदौरिया, श्रीमती ललिता यादव, सदस्यगण विधान सभा द्वारा डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य के विरूद्ध

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार दैनिक कार्यसूची में उल्लेखित निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर (जिला-टीकमगढ़)
(2) श्री मोती कश्यप (जिला-कटनी)
(3) डॉ. बाबूलाल वर्मा (जिला-शाजापुर)
(4) श्री सुदामा सिंह सिग्राम (जिला-अनूपपुर)
(5) श्री रामलखन सिंह (जिला-सतना)
(6) श्री ताराचंद बावरिया (जिला-छिंदवाड़ा)
(7) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल (जिला-बालाघाट)
(8) श्री सत्यनारायण पटेल (जिला-भोपाल)
(9) श्री भगवान सिंह राजपूत (जिला-भोपाल)
(10) श्रीमती साधना स्थापक (जिला-नरसिंहपुर)

(अपराह्न 12.57 से 2.37 बजे तक अन्तराल)

10. अध्यक्षीय घोषणा

अशासकीय कार्य पर चर्चा के समय में परिवर्तन विषयक

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि –"विधान सभा नियमावली के नियम 23 के अनुसार शुक्रवार के अंतिम ढाई घन्टे अशासकीय कार्य हेतु नियत हैं, परन्तु आज कार्यसूची के पद 7 में उल्लेखित कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अशासकीय संकल्प लिये जायेंगे।"

11. अध्यक्षीय व्यवस्था

नियम शिथिल कर विधेयकों के पुरःस्थापन एवं विचारण विषयक

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह व्यवस्था दी गई कि – "मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2012, मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 एवं मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2012 की महत्ता, उपादेयता एवं पारण हेतु तत्परता को दृष्टिगत रखते हुए अध्यक्ष के स्थायी आदेश की कंडिका 24 तथा मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 के परन्तुक में विद्यमान अपेक्षाओं को शिथिल कर आज की कार्यसूची में सम्मिलित विधेयकों को आज ही पुरःस्थापन एवं विचार में लिए जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है।"

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक 2012 (क्रमांक 16 सन् 2012) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(2) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) विधेयक 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(3) श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक 2012 (क्रमांक 18 सन् 2012) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(4) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक 2012 (क्रमांक 16 सन् 2012) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरान्त)

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक 2012 (क्रमांक 16 सन् 2012) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक सर्वानुमति से पारित हुआ।

(5) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) विधेयक 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने खण्ड 2 के उपखण्ड (2) में संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव किया।

संशोधन स्वीकृत हुआ।
यथा संशोधित खण्ड 2 विधेयक का अंग बना।
खण्ड 3 विधेयक का अंग बना।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) विधेयक 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(6) श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक 2012 (क्रमांक 18 सन् 2012) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने खण्ड 2 के उपखण्ड (2) में संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव किया।

संशोधन स्वीकृत हुआ।
यथा संशोधित खण्ड 2 विधेयक का अंग बना।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक 2012 (क्रमांक 18 सन् 2012) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

13. सम्पत्ति विवरण का पटल पर रखा जाना

निम्नलिखित मंत्रीगण द्वारा अपने एवं परिवार के सम्पत्ति विवरण पटल पर रखे गए :-

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री
(2) श्री महेन्द्र हार्डिया, राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा

14. अशासकीय संकल्प

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि - "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि भिण्ड से लहार, जालौन, उरई महोबा रेल लाईन स्वीकृत की जाये."

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह
(2) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री
(3) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी

श्री जगदीश देवड़ा, परिवहन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(2) सर्वश्री ध्रुवनारायण सिंह, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि - "सदन का यह मत है कि सोशल नेटवर्किंग साइट पर विभिन्न धर्मों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ भारत सरकार द्वारा एक अत्यधिक कड़ा कानून बनाना चाहिए."

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री ध्रुवनारायण सिंह
(2) श्री विश्वास सारंग
(3) श्री अजय विश्नोई, पशुपालन मंत्री

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, संस्कृति मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(3) श्री संजय पाठक, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि - "यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि ट्रेन संख्या 12160 सुपर एक्सप्रेस जो जबलपुर से नागपुर तथा ट्रेन संख्या 12159 जो नागपुर से जबलपुर चलती है, को कटनी से चलाया जाय." तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

श्री जगदीश देवड़ा, परिवहन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(4) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि - "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि अजमेर कलकत्ता-अजमेर, अजमेर-बांद्रा-अजमेर, अजमेर-हैदराबाद-अजमेर इन ट्रेनों का स्टापेज जावरा किया जाय." तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

श्री जगदीश देवड़ा, परिवहन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(5) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि -"सदन का यह मत है कि भटियारा पिछड़ा वर्ग में आने वाली जाति के अन्तर्गत उप जाति नेमा, गुप्ता, बानिया, नायक को भी शामिल किया जाय."

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

संकल्प में संशोधन :

श्री विश्वास सारंग, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि संकल्प की द्वितीय पंक्ति में शब्दावली "उपजाति नेमा" के बाद शब्दावली "नीमा" जोड़ा जाए।

मूल अशासकीय संकल्प एवं प्रस्तुत संशोधन पर एक साथ प्रारम्भ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

(1) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति
(2) श्री सुनील जायसवाल

श्री अजय विश्नोई, पशुपालन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

यथासंशोधित संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

15. नामनिर्दिष्ट समितियों की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के क्रमश: नियम 203 (1), 208 (1), 213, 216(1), 224 (1), 225 (1), 231 (2), 232, 233(1), 234-ग तथा 234-घ (2) के अधीन वर्ष 2012-13 की अवधि में सेवा करने के लिये निम्नांकित सभा समितियों हेतु सदस्यों को नाम-निर्दिष्ट करते हुए नियम 180 के उपनियम (1) के अधीन उनके सभापतियों को एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है :-

(1) कार्य मंत्रणा समिति

1. श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री
2. श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष
3. श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री
4. डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री
5. श्री राघवजी, वित्त मंत्री
6. श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री
7. श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री
8. श्री अनूप मिश्रा
9. श्री केदारनाथ शुक्ल
10. श्री लक्ष्मण तिवारी
11. चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उपनेता प्रतिपक्ष
12. श्री रामनिवास रावत
13. श्रीमती गंगाबाई उरैती
14. श्री पारस सकलेचा

माननीय अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा इस समिति के सभापति होंगे।

(2) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

1. श्री बृजमोहन धूत
2. श्रीमती शशि ठाकुर
3. श्री रंजीत सिंह गुणवान
4. श्री सुन्दर सिंह
5. श्री मूल सिंह
6. श्री पुरूषोत्तम दांगी
7. श्री संजय शाह मकड़ाई

श्री बृजमोहन धूत, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

(3) याचिका समिति

1. श्री अलकेश आर्य
2. डॉ. बाबूलाल वर्मा
3. श्री रामराव कवड़ेती
4. श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार
5. श्री जमना सिंह सोलंकी
6. श्री चेतराम मानेकर
7. श्री गिरिराज किशोर पोद्दार
8. कुंवर विक्रम सिंह
9. श्रीयुत श्रीकांत दुबे
10. श्री पांचीलाल मेड़ा
11. श्री राधेलाल बघेल

श्री अलकेश आर्य, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

(4) प्रत्यायुक्त विधान समिति

1. श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
2. श्री नरेन्द्र त्रिपाठी
3. श्री राजेन्द्र श्यामलाल दादू
4. श्री बलीसिंह मरावी
5. श्रीमती पन्नाबाई प्रजापति
6. श्री रामप्यारे कुलस्ते
7. श्री दशरथ सिंह लोधी
8. श्री लक्ष्मण तिवारी
9. श्री तुलसीराम सिलावट
10. श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर
11. श्री लखन घनघोरिया

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

(5) शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

1. श्री देवेन्द्र वर्मा
2. श्री अनारभाई वास्कले
3. श्री धूल सिंह डाबर
4. राव राजकुमार सिंह महुअन
5. श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर
6. श्री आशाराम अहिरवार
7. श्री मोतीलाल तिवारी
8. श्री सुभाष कुमार सोजतिया
9. श्री अश्विन जोशी
10. श्री ओमकार सिंह मरकाम
11. श्री मदन कुशवाह

श्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

(6) विशेषाधिकार समिति

1. श्री केदारनाथ शुक्ल
2. श्री देवेन्द्र कुमार जैन
3. श्री रामकिशोर कांवरे
4. श्री रमेश दिलीप भटेरे
5. श्री शिवमंगल सिंह तोमर
6. श्री आत्माराम पटेल
7. चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
8. श्री राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्तीगांव
9. श्री जेवियर मेड़ा
10. श्री अरविन्द सिंह भदौरिया

श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

(7) नियम समिति

1. डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री, (पदेन सदस्य)
2. श्री हरीसिंह रघुवंशी
3. श्री विजयपाल सिंह राजपूत
4. श्री हरीसिंह सप्रे
5. राव देशराज सिंह यादव
6. श्री संतोष जोशी
7. श्री गौतम टेटवाल
8. श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल
9. श्री शिवनारायण मीना
10. श्री आरिफ अकील

माननीय अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा इस समिति के पदेन सभापति होंगे।

(8) सदन समिति

1. श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़)
2. श्री प्रेम सिंह पटेल
3. श्री शंकरलाल तिवारी
4. श्रीमती ललिता यादव
5. श्री दिलीप जायसवाल
6. श्री ऐदल सिंह कंसाना
7. श्री सुरेश चौधरी

श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़), सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

(9) पुस्तकालय समिति

1. श्री मोती कश्यप
2. श्री सूर्यप्रकाश मीना
3. श्री लालजीराम मालवीय
4. श्री माखनलाल राठौर
5. श्रीमती रेखा यादव
6. श्रीमती गीता रामजीलाल उईके
7. श्री राजेन्द्र सिंह सलूजा
8. श्री रमेश मैंदोला
9. श्री सुखदेव पांसे
10. श्री भगवान सिंह राजपूत
11. श्री सुनील जायसवाल
12. श्री धरमू सिंग सिरसाम
13. श्री बिजेन्द्र सिंह मालाहेड़ा

श्री मोती कश्यप, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

(10) पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति

1. श्री हरेन्द्रजीत सिंह
2. श्री बालकृष्ण पाटीदार
3. श्री राधेश्याम नानालाल पाटीदार
4. श्री राजेश वर्मा
5. श्री रोडमल राठौर
6. श्री ठाकुरदास नागवंशी
7. श्री सुरेन्द्र पटवा
8. डॉ. प्रभुराम चौधरी
9. श्री रणवीर सिंह जाटव
10. श्री अरूणोदय चौबे
11. श्री रामगरीब कोल

श्री हरेन्द्रजीत सिंह , सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

(11) प्रश्न एवं संदर्भ समिति

1. श्री अन्तर सिंह आर्य
2. श्री रमेश सक्सेना
3. श्री देवी सिंह पटेल
4. श्री शांतिलाल धवाई
5. श्री विश्वास सारंग
6. श्री अभय कुमार मिश्रा
7. श्री रमेश प्रसाद खटीक
8. श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति
9. डॉ. कल्पना परूलेकर
10. श्री हेमराज सिंह कल्पोनी
11. श्री शरद जैन

श्री अन्तर सिंह आर्य, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

16. सम्पत्ति विवरण पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि - श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, राज्यमंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने उनकी अनुपस्थिति में संपत्ति विवरण को सदन के पटल पर रखे जाने का अनुरोध किया है। तद्नुसार, श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा उनके एवं उनके परिवार का संपत्ति विवरण सदन की सहमति से पटल पर रखा गया।

17. अध्यक्षीय घोषणा
सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि "सदन की बैठकें दिनांक 4 अप्रैल, 2012 तक निर्धारित हैं। सभी वित्तीय कार्य एवं शासकीय कार्य समय पूर्व ही समाप्त हो जाने तथा इस संबंध में मेरी सदन के माननीय नेता एवं माननीय नेता प्रतिपक्ष से हुई चर्चानुसार सदन की कार्यवाही आज ही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित की जाएगी।"

18. सत्र का समापन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सत्र समापन के अवसर पर, निम्नानुसार उदगार व्यक्त किये गये :-

"विधान सभा का यह बजट सत्र अब समापन की ओर अग्रसर है। दिनांक 21 फरवरी, 2012 से प्रारम्भ इस सत्र में सदन की कुल 22 बैठकें हुई और अनेक वित्तीय, विधायी और लोक महत्व के कार्य सम्पन्न हुए।

इस सत्र में कुल 6590 प्रश्न प्राप्त हुए जिसमें से 3840 तारांकित प्रश्न एवं 2750 अतारांकित, ध्यानाकर्षण की कुल 844 सूचनाएं प्राप्त हुई तथा 689 याचिकाएं सदन में प्रस्तुत हुई। इस सत्र में सदन ने वर्ष 2012-2013 के बजट एवं वर्ष 2011-2012 की तृतीय अनुपूरक मांगों को स्वीकृति प्रदान की, वहीं 18 शासकीय विधेयक पारित किए। सदन ने भोजनावकाश स्थगित कर बैठकों का समय सायं 6.00 बजे तक बढ़ाकर और अनेक बार इसके बाद देर रात्रि तक भी बैठकर अपने कार्यों का निष्पादन किया जिसमें मुझे सभी दलों का सहयोग प्राप्त हुआ।

संसदीय लोकतंत्र की विशेषता यही है कि हम इन पवित्र सदनों में विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से वृहद लोक हित में कार्य करें। हम अपने विभिन्न संवैधानिक एवं संसदीय दायित्वों का निर्वहन भी पूरी तन्मयता और तत्परता के साथ करें। हम उनकी वाणी बने, उनके कष्टों/समस्याओं को दूर करें और उन्हें न्याय दिलवाएं जिन्होंने हमें चुनकर अपने प्रतिनिधि के रूप में इस पवित्र सदन में भेजा है। लोकतंत्र में मत-मतांतर और दलीय प्रतिबद्धताओं का पृथक-पृथक होना स्वाभाविक है और वस्तुत: यही बाद लोकतंत्र को मजबूती भी प्रदान करती है। लोकतंत्र और संसदीय संस्कृति के विकास के लिए यह आवश्यक है कि इन सबके होते हुए भी दलगत राजनीति से हटकर हम सभी को लोक कल्याण के लक्ष्य को साधना चाहिए।

विधान सभा के प्राय: प्रत्येक सत्र में विभिन्न प्रक्रियाओं के तहत उठाए गए मामलों के निरंतर बढ़ते आंकड़े इस बात के स्वयं उदाहरण हैं कि हमारी विधान सभा के सदस्य कितने जागरूक और संवेदनशील हैं और वे जनता तथा प्रदेश के विकास के लिए कितने समर्पित और प्रतिबद्ध हैं। मैं अपेक्षा और आशा करता हूँ कि जनसेवा की यह भावना निरंतर हमारे हृदयों में प्रवाहित रहनी चाहिए।

इस लंबे सत्र में मुझे सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय उपाध्यक्ष एवं सभी माननीय मंत्रियों और माननीय सदस्यों का जो सहयोग प्राप्त हुआ है, उसके लिये मैं आभारी हूँ। इस अवसर पर मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री, डॉ. नरोत्तम मिश्रा की प्रशंसा किए बिना भी नहीं रह सकता हूँ। उनके द्वारा संसदीय कार्य के दायित्वों का जिस कार्य कुशलता एवं विद्वता से निर्वहन किया गया उससे मैं अभिभूत हूँ तथा इस हेतु उनका भी हृदय से आभारी हूँ।

मैं विधान सभा सचिवालय, शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद् देता हूँ। मैं मीडिया को भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने विधान सभा की कार्यवाही को जनता तक पहुँचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंत में, मैं अपनी और पूरे सदन की ओर से प्रदेशवासियों को आने वाले पर्वों की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ अगले सत्र में हम सब पुन: समवेत होंगे। धन्यवाद्।

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उपनेता प्रतिपक्ष, उपाध्यक्ष महोदय, सर्वश्री रामलखन सिंह एवं पारस सकलेचा, सदस्यगण ने भी समापन अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए।

19. राष्ट्रगान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान "जन-गण-मन" का समूह गान किया गया।

20. सदन की कार्यवाही का अनिश्चितकाल के लिए स्थगन

अपराह्न 4.29 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 30 मार्च, 2012